UPJL010007202026

Presented on : 04-02-2026
Registered on : 04-02-2026
Decided on : 11-03-2026
Duration : 0 years, 1 months, 7 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Criminal Misc. Cases/20004/2026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।
प्रकीर्ण वाद संख्या–04/2026

1. रामलखन उम्र 66 वर्ष पुत्र श्री रामकिशुन धोबी निवासी ग्राम सलैया बुजुर्ग थाना कैलिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश। ....आवेदक,

बनाम

1– मुहर सिंह यादव पुत्र नाथूराम यादव।
2. ओमकार उर्फ लला पुत्र मुहर सिंह यादव।

.........विपक्षीगण।

दिनांक–11.03.2026

पत्रावली पेश हुई। विगत तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 पर सुना जा चुका है। आज आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक रामलखन द्वारा प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत कर मुख्यतः कथन किया गया है कि प्रार्थी ग्राम सलैया बुजुर्ग थाना कैलिया जिला जालौन उ०प्र० का निवासी है और हरिजन धोबी जाति का गरीब व्यक्ति है और प्रार्थी शादी में अपना घोडा ले जाकर उसकी आय से अपना व अपने परिवार का पेट पालता है। घटना दिनांक 10.12.2025 समय करीब 12 बजे दिन की है। प्रार्थी के घर के पास स्थित बाडा में प्रार्थी का घोडा बंधा हुआ था तो प्रार्थी के पडोस में मुंहर सिंह यादव पुत्र नाथूराम यादव व ओमकार उर्फ लला पुत्र मुहर सिंह यादव प्रार्थी के बाडा में घुसकर अकारण ही घोडे को लाठी डण्डो से मारपीट कर रहे थे। प्रार्थी के पुत्र मोनू ने उपरोक्त लोगों को घोडे की मारपीट करने से रोका तो उक्त लोगों ने प्रार्थी के पुत्र मोनू को लात घूसों से मारने पीटने लगे और कहने लगे साले धुबिया वाले कहने लगे उपरोक्त लोगों के द्वारा मारपीट करने से प्रार्थी के पुत्र के काफी चोटें आयी और प्रार्थी व उसके पुत्र के सामने घोडे को इतना मारा की उसकी मृत्यु हो गयी। शोरगुल सुनकर गांव के कई लोग आ गये जिन्होंने प्रार्थी के पुत्र मोनू को बचाया तो प्रार्थी के पुत्र को मॉ बहिन की गालियां देते हुये बोले साले धुबिया वाले हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता है थाने की पुलिस हमारे प्रभाव में है कहते हुये थाने में रिपोर्ट करने पर जान से मार देने की धमकी देकर भाग गये। उपरोक्त लोग दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति के है। गांव में कोई गवाही देने को तैयार नही होता है प्रार्थी अपने

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.03.12 11:15:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लडके को लेकर थाना कैलिया गया किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नही हुयी है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान जी को पूर्व में प्रार्थना पत्र दिये फिर भी सुनवाई नही हुयी है और प्रार्थी व उसके लडके को समझौता करने का दबाब बना रहे है और समझौता न. करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी का कीमती घोडा मार दिया जिससे प्रार्थी की रोजी रोटी छिन गयी है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न ही चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन स्थान उरई को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 31.01.2026 को प्रार्थना पत्र भेजा लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी तब प्रार्थी श्रीमान न्यायालय की शरण में आया है। उपरोक्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

अपने कथन के समर्थन में आवेदक की ओर से शपथ पत्र, छाया प्रति आधार कार्ड, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्टर्ड डाक की रसीद, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, घोडे की फोटो, प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में थाना कैलिया से आख्या आहुत की गयी। थाने की आख्यानुसार आरोपों के सम्बन्ध में आवेदक को तलाश किया गया तो घर में नही मिला पता चला कि आवेदक कई सारे जानवर (गधा) पाल रखे है जिनको वह खुले आम छोड देता है जो गांव के लोगों के खेतों की फसल को नुकसान करते है जिससे पूरा गांव परेशान है आवेदक का विपक्षीगण मुहर सिंह पुत्र नाथूराम, ओमकार उर्फ लला पुत्र मुहर सिंह निवासीगण ग्राम सलैया बुजुर्ग थाना कैलिया जिला जालौन के द्वारा अपने खेत में जानवरों को जाने से मना किया गया था इसी बात को लेकर आवेदक नाराज होकर दबाव बनाने के उद्देश्य से मनगढंत कहानी बनाकर झूठा प्रार्थना पत्र दिया गया है। आवेदक का कोई घोडा नहीं मरा है और न ही विपक्षीगण द्वारा कोई घटना कारित की गयी है।

वादी व विपक्षीगण एक ही गांव के निवासी हैं तथा पुलिस जांच में मामला होना नहीं पाया गया है। वादी व विपक्षीगण एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रार्थी के स्वयं के तथा उसके साक्षियों के संज्ञान में है, जिन्हें वह अपनी साक्ष्य के माध्यम से स्वतः सिद्ध करने में सक्षम है। अतः प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था **प्रियंका श्रीवास्तव प्रति उ0प्र0 राज्य, ए.आई.आर. 2015, सुप्रीम कोर्ट 1758** एवं मान्नीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था **रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2001(43) ए.सी.सी. 201** तथा निर्णयज विधि **सुखवासी बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य, 2007(59) ए.सी.सी.739** में प्रदत्त विधि के प्रकाश में प्रकरण में किसी विशिष्ट संस्था के माध्यम से जॉच कराये जाने का समुचित आधार उपलब्ध नहीं है, वरन् स्वयं संज्ञान लेकर जॉच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अस्तु, प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर तद्नुसार कार्यवाही संचालित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 27.03.2026 को पेश हो।

दिनॉक–11.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।